

Eastern Railway
(Personnel Department)
17, N. S. Road, Kolkata -700 001

PCPO's S.L. No. 267/2019

No. E.890/0/1/R&R/Policy/Pt. XIX

Kol. dt. 03.01.2020

All Concerned,
(as per standard list)

Sub: Recruitment against Cultural/Scouts & Guides Quota-
Master Circular

A photocopy of Railway Board's letter No.E(NG)-II/2019/RR-2/1 dated 23.12.2019 on the above mentioned subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

DA: As above


13-01-2020
(G. Bandopadhyay)

Sr. Personnel Officer (S&T)
for Principal Chief Personnel Officer

Index No. 1063: Recruitment against Cultural/Scouts & Guides Quota- Master Circular

2433

07 Central Registry / E. Ry
Date of Receipt
Serial No. 10
29/12

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board) 31 DEC 2019

New Delhi, Dated: 23.12.2019

No. E (NG)-II/2019/RR-2/1

The General Managers
All Indian Railways/PUs,
(As per Standard Mailing List)

Sub: Recruitment against Cultural/Scouts and Guides Quota – Master Circular.

Please find enclosed herewith a copy of updated Master Circular No. 7 (Bilingual) regarding recruitment against Cultural/Scouts and Guides Quota, for information and guidance.

Please acknowledge receipt.

Encl: As above.

(M.M.Rai)

Joint Director Estt. (N)II
Railway Board

No. E(NG)II/2019/RR-2/1

New Delhi, Dated 23.12.2019

Copy to:

- (i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
- (iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- (iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
- (v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
- (vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
- (vii) The Secretary General, IRPOF.
- (viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
- (ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
- (x) The President, Railway Board Class IV Officers' Association.
- (xi) The General Secretary, AIRPF Association.

Contd.../-

By CPO/S. R. Singh
to give copy immediately
to CPO/A+ circulate to all
+ Champion/see
01/01/2020
PCPO

01 JAN 2020



सत्यमेव जयते

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

**सांस्कृतिक एवं स्कॉट्स तथा
गाइड्स कोटे के अंतर्गत भर्ती
पर**

**मास्टर परिपत्र सं. 7
(दिसंबर, 2019 में अपडेटेड)**

**Master Circular No. 7
on
Recruitment Against Cultural/
Scouts and Guides Quota
(Updated in December, 2019)**

**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)**

No. E(NG)II/2019/RR-2/1/Master Circular

New Delhi, dated 13.12.2019

**The General Managers (P),
All Indian Railways,
Production Units & others**
(as per standard mailing list).

**Sub: Recruitment against Cultural/Scouts and Guides Quota –
Master Circular.**

Pursuant to the issue of the Master Circular No. 7/90 dated 22.10.1990, instructions have been amended and new orders issued on the policy regarding recruitment against Cultural/Scouts and Guides Quota. Instructions issued from time to time on the above subject have now been consolidated below for the information and guidance of all concerned.

2. Recruitment against Scouts & Guides Quota in Level - 1 and Level - 2 of 7th CPC Pay Matrix.

(i) The annual quota for recruitment on Scouts and Guides has been fixed by this Ministry on the Zonal Railways and Production Units as below:

Level – 2	2 per Railway per year
of 7 th CPC Pay Matrix	1 per Production Unit per year
Level -1 (erstwhile Group "D")	2 per Division per year
of 7 th CPC Pay Matrix	2 per Production Unit per year

Authority: E(NG)II/2003/RR-2/4 dated 19.11.2003 (R.B.E No. 201/2003)

Note: Northern Railway will recruit additional 1 per year in Level -2 of 7th CPC Pay Matrix (6th CPC GP 1900) and 2 per year in Level-1 (6th CPC GP 1800) who will be posted in Research Designs & Standards Organisation (RDSO), not to be utilized elsewhere.

(ii) Recruitment should be done at the Zonal Administrative level. For this, each Zone should conduct the recruitment by clubbing the requirement/quota fixed for all their respective divisions as well as Production Units (which are also districts under

their respective zones), falling within their territorial jurisdiction. This should be done by way of open advertisement following the procedure laid down vide this Ministry's letter No. E(NG)II/96/RR-1/62 dated 17.09.98.

(iii) The recruitment will be done only in Level -2 of 7th CPC Pay Matrix (6th CPC GP 1900/-) and Level -1 of 7th CPC of Pay Matrix (6th CPC GP 1800/-).

(iv) The educational qualification and age limit for consideration for appointment against the quota will be the same as applicable for direct recruitment to Level -2 & Level-1 respectively. Examination Fee may be charged @ Rs.500/- (Rupees Five Hundred) per candidate with the provision for refunding Rs.400/- to candidates actually appearing in the written examination. However, for candidates belonging to SC/ST/Ex-Serviceman/Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs), Women, Minorities and Economic Backward Classes Rs.250/- will be charged, with a provision for refunding the same to those who appear in the written examination.

(Authority: E(NG)II/2009/RR-1/10 dated 17/06/2016 & E(NG)II/2017/RR-1/12(3192238) dated 28/02/2018.)

(v) Power for Recruitment of Scouts and Guides quota shall lie with the General Manager. Application shall be called separately for Level-2 (6th CPC GP Rs.1900/-) and Level-1 (6th CPC GP 1800/-). The selection shall also be conducted separately. A candidate may apply both for Level-2 and Level-1.

(vi) The following qualification would apply for the recruitment of Scouts & Guides to posts in Level-2 and Level-1.

- a) A President Scout/Guide/Rover/Ranger Or Himalayan Wood Badge(HWB) holder in any section;
- b) Should have been an active member of Scouts Organization for the last 5 years. The 'Certificate of Activeness' should be as per Annexure-I; and
- c) Should have attended two events at National level **OR** All Indian Railways' level **AND** Two events at State Level.

(vii) The candidate, who apply in response to the notification and are found eligible for consideration for appointment against Scout & Guides quota, should be assessed on the basis of following criteria:

(A)	Written Test	60 Marks
	The written test will consist of 40 objective question (40 marks) & 1 essay type question (20 marks) relating to Scouts & Guides Organization and its activities and General knowledge for Level-2 and Level-1. The Syllabus for this will be as per Annexure-II .	

(B)	Marks on Certificates	40 Marks
	(i) Participation/Service rendered in National Events/National Jamboree (including all Indian Railway Events):	10 Marks
	• First Two certificates (i.e. minimum eligibility qualification)	Nil
	• One Additional Event	07 Marks
	• Two or More Additional Events	10 Marks
	(ii) Participation/Service rendered in State Events/ Rallies:	10 Marks
	• First Two certificates (i.e. minimum eligibility qualification)	Nil
	• One Additional Event	07 Marks
	• Two or More Additional Events	10 Marks
	(iii) Specialized Scout/Guides course organized at National/ State/All Indian Railways level:	10 Marks
	• One Course	07 Marks
	• Two or More Courses	10 Marks
	(iv) Participation in District Rallies:	10 Marks
	• One Certificate	Nil
	• Two Certificates	07 Marks
	• Three Certificates	10 Marks
	TOTAL	100 Marks

Authority: E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 22.03.2018 (R.B.E No. 43/2018) &
E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 21.09.2015 (R.B.E No. 110/2015)

(viii) For selection in Level-2, the recruitment committee shall consist of three Senior Administrative Grade (SAG) officers to be nominated by the General Manager. For the selection in Level-1, the General Manager of Zonal Railways/PUs may re-delegate the power for nomination of Junior Administrative Grade (JAG) Committee and acceptance of recommendation/approval of panel for

recruitment against Scouts & Guides Quota for the Post of Level-1 of 7th CPC Pay Matrix (erstwhile Group 'D' posts) to PCPO of Zonal Railways/PUs. For selection in Level-1, the committee shall consist of three Junior Administrative Grade officers. One of them should be an officer holding honorary post of Commissioner in Scouting/Guiding organization in the committee of a Zone/Division/unit other than the one conducting the recruitment. One of the three members should be necessarily be from the Personnel department.

Authority : E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 03.07.2019 (R.B.E No. 106/2019)

(ix) A written declaration will be obtained from all the candidates who finally qualify for appointment as per Annexure-III. If the candidate violates any of the said declarations furnished by him/her, he/she should be taken up for D&AR by the concerned CPO/Senior DPO on the recommendation of State Chief Commissioner/District Chief Commissioner, as the case may be.

(x) Higher fixation of pay will not be admissible to a person appointed against Scouts & Guides Quota

(xi) The persons appointed against Scouts & Guides quota to the category of Clerks will be required to possess proficiency in typing within a period of two years from the date of their appointment, and their appointment will be provisional subject to the prescribed typing qualification within the stipulated period. In case of non-acquisition of typing skills within the prescribed period, no additional time will be given and services of such candidate will be summarily terminated.

(xii) The Candidates selected for appointment under the Scout & Guide quota should be posted by the competent authority in consultation with the concerned State Chief Commissioner/District Chief Commissioner.

(xiii) It may be noted that instead of notifying the posts against this quota as unreserved (UR), this should be mentioned as open to all candidates and candidates belonging to SC/ST/OBC Categories who apply against notification published for this quota be extended relaxation in age limit as admissible in a general open market recruitment. However, in case of being selected with any relaxation on account of being a candidate from the above categories, he/she will be taken against reserved roster point.

(xiv) The field units are directed that they should finalize and fill up the posts against this quota during the respective financial year without fail.

(Authority: E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 21.09.2015(R.B.E No. 110/2015)

3. **Recruitment against Cultural Quota posts in Level-2 and Level-1 of 7th CPC Pay Matrix.**

(i) The annual quota for recruitment on Cultural quota has been fixed by this Ministry on the Zonal Railways

Level – 2 (of 7 th CPC Pay Matrix)	2 per Railway per Year
	2 per Production Unit per Year

Authority No: E(NG)II/2003/RR-2/4 dated 19.11.2003(R.B.E No. 201/2003)

(ii) Recruitment should be done by the Railway Administration themselves.

(iii) The recruitment against the quota should be done by open advertisement, following the procedure laid down in this Ministry's letter No. E(NG)II 96/RR-1/62 dated 17.09.98.

(iv) The educational qualifications for consideration for appointment against the quota will be the same as applicable for recruitment to 'Level 2' categories.

(v) The recruitment will be done only in the Level 2 of 7th CPC Pay Matrix.

(vi) Age limit as applicable for recruitment to other equivalent categories shall be followed.

(vii) The following qualifications would apply for recruitment to level-2 posts against Cultural Quota.

Essentials:

- a) Educational Qualification: The minimum qualification prescribed for Level 2 Recruitment.
- b) Possession of degree/diploma/certificate in Music/dance/drama etc. from Govt. Recognized institute

Desirable:

- a) Experience in the field and performance given on AIR (Air India Radio)/Doordarshan etc.
- b) Prizes won at National Level.

(viii) The candidates who apply in response to notification issued and are found eligible for consideration for appointment against Cultural Quota should be assessed on the following basis.

(A)	Written Test	50 Marks
	Note: The Written test will consist of Objective Type Questions.	
(B)	Assessment of Talent in the relevant field on	
	(i) The basis of practical demonstration	35 Marks
	(ii) Testimonials/Prizes etc.	15 Marks
	Total:	100 Marks

(ix) The Recruitment Committee shall consist of three members to be nominated by the General Manager; which will include one SAG officer from personnel department, second SAG officer from any other department and an outside member of appropriate standing in the relevant field or a faculty member of any recognised University/Cultural Institution or a representative from Doordarshan/AIR (All India Radio) etc as the third member.

(x) Higher Fixation of pay will not be admissible to persons appointed against Cultural Quota.

(xi) The persons appointed against Cultural quota to all the categories of Clerks will be required to possess proficiency in Typing within a period of two years from the date of appointment and their appointment will be provisional subject to acquiring the prescribed typing qualification within the stipulated period. (Board's letter No. E(NG)II/98/RR-2/7 dated. 03.03.1999).

Authority: E(NG)II/90/RR-2/1 dated 19.06.2000

4. This Ministry have no objection for the recruitment of more Scouts & Guides, if suitable person are available, within the overall ceiling limit for cultural-cum-Scouts and Guides Quota referred in para 2 above.

(Authority: E(NG)III/79/RR-1/25 dated 18.05.1982)

5. **General:**

(a) While referring to this Circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.

(b) The instructions contained in the original circulars referred to shall have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in

.....7/-

the concerned circular. For Dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and

(c) if any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight should be treated as valid and operative. Such a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

(d) Please acknowledge receipt.

(M.M.Rai)

Jt. Director Estt. (N)-II
Railway Board

The consolidation has been made from the following circulars:-

1. No. E(NG)III/79/RR-1/25 dated 19.09.1979
2. No. E(NG)III/77/RR-1/50 dated 07.04.1980
3. No. E(NG)III/79/RR-1/25 dated 25.08.1980
4. No. E(NG)III/79/RR-1/25 dated 18.05.1982
5. No. E(NG)II/84/RR-2/1 dated 14.09.1984
6. No. E(NG)II/86/RR-2/3 dated 04.05.1988
7. No. E(NG)II/88/RR-2/1 dated 05.06.1989
8. No. E(NG)II/98/RR-2/7 dated 03.03.1999
9. No. E(NG)II/90/RR-2/1 dated 19.06.2000
10. No. E(NG)II/2003/RR-2/4 dated 19.11.2003
11. No. E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 21.09.2015
12. No. E(NG)II/2017/RR-1/12 (3192238) dated 27.07.2017
13. No. E(NG)II/2017/RR-1/12 (3192238) dated 28.02.2018
14. No. E(NG)II/2009/RR-1/10 dated 17.06.2019
15. No. E(NG)II/2015/RR-2/1 dated 03.07.2019

Certificate No.

CERTIFICATE OF ACTIVENESS

This is to certify that..... (name).....of
..... State/District/Division is an active member of
.....Group since..... years duly registered with the State/District
Association.

Date:

(Name & Sign)
Group Leader(S/G)

(Name & Sign)
DOC (S/G)

(Name & Sign)
DC(S/G)

PROPOSED SYLLABUS FOR SELECTION UNDER SCOUTS & GUIDES
QUOTA FOR GROUP 'C' POSTS

History of Scouting/Guiding; Law & Promise; Organisation - 'Distt. & State Level'; Training Centre-Distt. & State Level; Knowledge of Books; Scouting for Boys/Guiding for Girls in India; Motto left hand shake; Salute; Prayer; Flag song; National Anthem; Know the National & Scouting flags; Social Services at various occasions; Hiking; Proficiency Badges, How these are earned?; Stages in Scouting/Guiding. Thinking Day; Progressive Training of Scouts/Guides/Rovers/Rangers; Pioneerering; Handicrafts; Indian Railway Jamborette; National Jamboree; Jamboree on the Air.

Organisation at National level; National Training Centres, WAGGGS/WOSM-Uprashtrapati Award Competition; Prime Minister Shield Competition; Community Development Programmes; Aims and Methods of Scouting; How Scouting is useful in producing better citizens?

DECLARATION FOR APPOINTMENT

I (NAME), S/o hereby declare that :

1. I shall undergo Unit Leader Training within 1 year of my posting in the Railways;
2. I shall open and/or run a Unit effectively.
3. I shall undergo progressive training from time to time.
4. I shall assist Railway scout administration, as and when required.

In the event of violation of any of the above, I may be taken up under the D&A Rules.

Place:

Date:

(Signature)

(Name)

भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

सं. ई(एनजी)II/2019/आरआर-2/1मास्टर सर्कुलर

नई दिल्ली, दिनांक 13.12.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),

सभी भारतीय रेलें / उत्पादन इकाइयां.

(मानक मेलिंग सूची के अनुसार)

विषय: सांस्कृतिक एवं स्काउट्स तथा गाइड्स कोटे के अंतर्गत भर्ती - मास्टर सर्कुलर

दिनांक 22.10.1990 को जारी मास्टर परिपत्र सं. 7/90 के अनुसरण में सांस्कृतिक/स्काउट्स तथा गाइड्स कोटा के अंतर्गत भर्ती से संबंधित नीति के संबंध में, अनुदेश संशोधित किए गए हैं और नए आदेश जारी किए गए हैं। उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेश सर्वसंबंधित को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए अब नीचे समेकित किए गए हैं।

2. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 एवं लेवल-2 में स्काउट्स तथा गाइड्स कोटे के अंतर्गत भर्ती.

(i) इस मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों में स्काउट्स तथा गाइड की भर्ती के लिए वार्षिक कोटा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है:

7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल-2	2 प्रति रेलवे प्रति वर्ष
	1 प्रति उत्पादन इकाई प्रति वर्ष
7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल-1(पूर्व में समूह "घ")	2 प्रति मंडल प्रति वर्ष
	2 प्रति उत्पादन इकाई प्रति वर्ष

प्राधिकार दिनांक 19.11.2003 का पत्र सं. ई(एनजी) II/2003/आरआर-2/4 (आर.बी.ई. सं.201/2003)

टिप्पणी – उत्तर रेलवे 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स (6th सीपीसी ग्रेड पे 1900) के लेवल-2 में प्रति वर्ष 1 और लेवल -1 (6th सीपीसी ग्रेड पे 1800) में प्रति वर्ष 2 अतिरिक्त भर्ती करेगा जिन्हें अनुसन्धान अभिकल्प एवं मानक संगठन में तैनात किया जाएगा, एवं अन्यत्र इनका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) भर्ती क्षेत्रीय प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। इसके लिए, प्रत्येक जोन अपने सभी संबंधित मंडलों के साथ-साथ उत्पादन इकाइयों, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, (जो कि उनके संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत जिले भी हैं) के लिए निर्धारित आवश्यकता/कोटा को इकट्ठा करके भर्ती करेगा। इसे इस मंत्रालय के दिनांक 17.09.98 के पत्र सं. ई (एनजी) II / आरआर-1/62 के तहत दी गई प्रक्रिया के अनुसार खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाए।

(iii) भर्ती केवल 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल-2 (6th सीपीसी ग्रेड पे:1900 रु.) और 7 वें सीपीसी पे मैट्रिक्स के लेवल-1 (6th सीपीसी ग्रेड पे 1800 रु.) में की जाएगी।

(iv) कोटा के अंतर्गत नियुक्ति पर विचार करने के लिए शैक्षणिक अर्हता एवं आयु सीमा क्रमशः लेवल-2 और लेवल-1 पर सीधी भर्ती के समान ही लागू होगी। लिखित परीक्षा में वास्तविक रूप से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को 400/-रु. वापस करने के प्रावधान के साथ प्रति परीक्षार्थी से 500/-रु. (पांच सौ रुपये) परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पूर्व सैनिक / मानक विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी डब्ल्यूबीडीएस), महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों से 250 रु. शुल्क लिया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले लोगों को वापस करने का प्रावधान है। (प्राधिकार दिनांक 17.06.2016 का ई(एनजी)II/2009/आरआर-1/10 एवं दिनांक 28.02.2018 का ई(एनजी)II/2017/आरआर-1/12(3192238))

(v) स्कॉउट्स और गाइड्स कोटे पर भर्ती करने का अधिकार महाप्रबंधक के पास होगा। लेवल-2 (6th सीपीसी ग्रेड पे 1900/-रु.) और लेवल- 1 (6th सीपीसी ग्रेड पे 1800/-रु.) के लिए अलग-अलग आवेदन मांगे जाएंगे। चयन भी अलग-अलग आयोजित किया जाएगा। एक उम्मीदवार लेवल-2 और लेवल-1 दोनों के लिए आवेदन कर सकता है।

(vi) लेवल-2 और लेवल-1 में पदों पर स्काउट्स एंड गाइड्स की भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हता लागू होगी:-

क) अध्यक्ष स्काउट/ गाइड / रोवर / रेंजर या किसी भी अनुभाग में हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक हो;

ख) पिछले 5 वर्षों से स्काउट संगठन का एक सक्रिय सदस्य रहा हो। 'सक्रियता का प्रमाणपत्र' अनुलग्नक-1 के अनुसार होना चाहिए; तथा

ग) राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर दो स्पर्धाओं और राज्य स्तर पर दो स्पर्धाओं में भाग लिया हो।

(vii) वह उम्मीदवार, जो अधिसूचना के संबंध में आवेदन करता है और स्काउट एंड गाइड्स कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के लिए योग्य पाया जाता है, उसका निम्न मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए:

(क)	लिखित परीक्षा	60 अंक
	लेवल-1 और लेवल-2 के लिए लिखित परीक्षा में 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) और 1 निबंध किस्म का प्रश्न (20 अंक) होगा, जो स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन और इसकी गतिविधियों से संबंधित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसका पाठ्यक्रम अनुलग्नक- II के अनुसार होगा।	
(ख)	प्रमाणपत्रों पर अंक	40 अंक
	राष्ट्रीय स्पर्धाओं/राष्ट्रीय समारोह (अखिल भारतीय रेलवे स्पर्धाओं सहित) में भाग लिया / सेवा दी हो।	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाणपत्र (अर्थात न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता)	कुछ नहीं
	• एक अतिरिक्त स्पर्धा	07 अंक
	• दो या दो से अधिक अतिरिक्त स्पर्धा	10 अंक
	(ii) राज्य स्पर्धाओं/रेलियों में भाग लिया / सेवा दी हो।	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाणपत्र (अर्थात न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता)	कुछ नहीं

• एक अतिरिक्त स्पर्धा	07 अंक
• दो या दो से अधिक अतिरिक्त स्पर्धा	10 अंक
(iii) राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर संगठित विशेषी स्काउट्स/गाइड्स पाठ्यक्रम	10 अंक
• एक पाठ्यक्रम	07 अंक
• दो या दो से अधिक पाठ्यक्रम	10 अंक
(iv) जिला रैलियों में भाग लेना:	10 अंक
• एक प्रमाणपत्र	कुछ नहीं
• दो प्रमाणपत्र	07 अंक
• तीन प्रमाणपत्र	10 अंक
कुल	100 अंक

प्राधिकार ई(एनजी)II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 22.03.2018 (आरबीई सं.43/2018) एवं ई(एनजी)II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 21.09.2015 (आरबीई सं.110/2015)

(viii) लेवल-2 में चयन के लिए, भर्ती समिति में महाप्रबंधक द्वारा नामित तीन वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के अधिकारी शामिल होंगे। लेवल-1 में चयन के लिए, क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधक, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) समिति के नामांकन के लिए अधिकार और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') के पद के लिए स्काउट्स तथा गाइड्स कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए पैनल की सिफारिश/अनुमोदन की स्वीकृति को क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को पुनः प्रत्यायोजित कर सकते हैं। लेवल-1 में चयन के लिए, समिति में तीन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी शामिल होंगे। उनमें से एक भर्ती करने वाले के अलावा क्षेत्र/मंडल/इकाई की समिति में स्काउटिंग/गाइडिंग संगठन में आयुक्त का मानद पद रखने वाला अधिकारी हो। तीन सदस्यों में से एक आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग से हो।

प्राधिकार ई(एनजी)II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 03.07.2019 (आरबीई सं.106/2019)

(ix) नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अर्हक अभ्यर्थियों से अनुलग्नक- III के अनुसार एक लिखित घोषणा ली जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई उक्त घोषणा में से वह किसी का उल्लंघन करता है, तो उस पर, जैसा भी मामला हो, राज्य के मुख्य आयुक्त/जिला मुख्य

आयुक्त की सिफारिश पर संबंधित मुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा अनुशासन व अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

(x) स्काउट्स तथा गाइड्स कोटे के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए वेतन का उच्चतर निर्धारण स्वीकार्य नहीं होगा।

(xi) स्काउट्स तथा गाइड्स कोटे के अंतर्गत लिपिक श्रेणी पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर टंकण में दक्षता प्राप्त करना अपेक्षित है और उनकी नियुक्ति अनुबंधित अवधि के भीतर निर्धारित टंकण अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन होते हुए अनंतिम होगी। निर्धारित अवधि के भीतर टंकण दक्षता न प्राप्त करने की स्थिति में, कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और बिना देरी किए ऐसे अभ्यर्थियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

(xii) स्काउट तथा गाइड कोटे के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य मुख्य आयुक्त/जिला मुख्य आयुक्त से परामर्श करके तैनात किया जाएगा।

(xiii) यह भी नोट किया जाए कि इस कोटे के अंतर्गत पदों को अनारक्षित (यूआर) के रूप में अधिसूचित करने के बजाय, यह उल्लिखित किया जाए कि यह सभी उम्मीदवारों के लिए खुला है एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो इस कोटे के लिए प्रकाशित अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करते हैं उन्हें सामान्य खुले बाजार भर्ती में स्वीकार्य आयु सीमा में छूट दी जाए। हालांकि, उपरोक्त श्रेणियों में से उम्मीदवार होने के कारण किसी भी छूट के साथ चयनित होने के मामले में, उसे आरक्षित रोस्टर बिंदु के अंतर्गत लिया जाए।

(xiv) फील्ड इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान इस कोटे के अंतर्गत पदों को अवश्य पूरा करें और भरें।

प्राधिकार ई(एनजी)II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 21.09.2015 (आरबीई सं.110/2015)

3. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के लेवल-2 और लेवल-1 में सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत भर्ती करना

(i) इस मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय रेलों में सांस्कृतिक कोटा में भर्ती के लिए वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है।

लेवल-2 (7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स)	2 प्रति रेलवे प्रति वर्ष
	2 प्रति उत्पादन इकाई प्रति वर्ष

प्राधिकार ई(एनजी)II/2003/आरआर-2/4 दिनांक 19.11.2003 (आरबीई सं.201/2003)

(ii) भर्ती रेल प्रशासन द्वारा स्वयं की जानी चाहिए।

(iii) इस मंत्रालय के दिनांक 17.09.98 के पत्र संख्या ई (एनजी)II96/आरआर-1/62 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कोटा के अंतर्गत भर्ती खुले विज्ञापन द्वारा की जाए।

(iv) कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के विचार के लिए शैक्षणिक अर्हता वही लागू होगी जो 'लेवल-2' श्रेणियों में भर्ती के लिए हैं।

(v) भर्ती केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में की जाएगी।

(vi) अन्य समकक्ष श्रेणियों में भर्ती के लिए लागू आयु सीमा का पालन किया जाएगा।

(vii) सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत लेवल -2 के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं लागू होगी।

अनिवार्य:

1. शैक्षणिक अर्हता: लेवल 2 में भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता।
2. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत/ नृत्य /नाटक आदि में डिग्री/डिप्लोमा /प्रमाणपत्र हो।

वांछनीय:

3. क्षेत्र में अनुभव और आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि पर दिए गए प्रदर्शन।
4. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीता हो।

(vii) जो उम्मीदवार जारी की गई अधिसूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं और सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाते हैं, उनका मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए।

(क)	लिखित परीक्षा	50 अंक
	टिप्पणी: लिखित परीक्षा में वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न होंगे	
(ख)	संबंधित क्षेत्र में प्रतिभा का आकलन	
	(i) व्यावहारिक प्रदर्शन का आधार	35 अंक
	(ii) प्रशंसापत्र / पुरस्कार आदि।	15 अंक
	कुल	100 अंक

(ix) भर्ती समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे जो महाप्रबंधक द्वारा नामांकित किए जाएंगे, जिसमें कार्मिक विभाग से एक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (एस. ए. जी.), दूसरा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (एस. ए. जी.) किसी अन्य विभाग से और तीसरे सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्र में उपयुक्त ओहदे का बाहरी सदस्य अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांस्कृतिक संस्थान से संबंधित क्षेत्र का संकाय सदस्य अथवा दूरदर्शन/आकाशवाणी आदि से एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

(x) सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए वेतन का उच्चतर निर्धारण स्वीकार्य नहीं होगा।

(xi) लिपिक की सभी श्रेणियों में सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर टंकण में दक्षता प्राप्त करनी आवश्यक होगी और उनकी नियुक्ति अनुबंधित अवधि के भीतर निर्धारित टंकण अर्हता प्राप्त करने के अध्याधीन अनंतिम होगी। (बोर्ड का दिनांक 03.03.1999 का पत्र सं. ई (एनजी)II/98/आरआर-2/7)

प्राधिकार ई(एनजी)II/90/आरआर-2/1 दिनांक 19.06.2000)

4. इस मंत्रालय को उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट सांस्कृतिक एवं स्काउट और गाइड कोटे की समग्र रूप से अधिकतम सीमा के भीतर यदि योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो तो और अधिक स्काउटों और गाइडों की भर्ती करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(सं. ई(एनजी)II/79/आरआर-1/25 दिनांक 18.05.1982)

5. सामान्य:

(क) इस परिपत्र को देखते समय इसे सही रूप से समझने के लिए इसमें संदर्भित मूल पत्रों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र अभी तक जारी किए गए अनुदेशों का समेकन है तथा इन्हें मूल का प्रतिस्थापन न माना जाए। शंका के मामले में, मूल परिपत्र को प्राधिकार के रूप में माना जाए।

(ख) उपरोक्त संदर्भित मूल परिपत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का उनके जारी होने की तिथि से ही भावी प्रभाव होगा जब तक कि संबंधित परिपत्र में अन्यथा विशेष रूप से न दिया जाए। पुराने मामलों पर कार्रवाई के लिए, उस समय पर लागू अनुदेशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि इस समेकित पत्र को तैयार करते समय इस विषय पर कोई परिपत्र जिसे हटाया नहीं गया है, पर विचार नहीं किया गया है, तो उक्त परिपत्र, जो चूक के कारण छूट गया है, को वैध एवं लागू माना जाएगा। ऐसा छूटा हुआ परिपत्र, यदि कोई है, तो उसे रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

(घ) कृपया इसकी पावती दें।

मदन मोहन राय

(एम.एम.राय)

संयुक्त निदेशक स्थापना (अराज.)II

रेलवे बोर्ड

परिपत्र जिनसे समेकन किया गया है:

1. सं. ई(एनजी)III/79/आरआर-1/25 दिनांक 19.09.1979
2. सं. ई(एनजी)III/77/आरआर-1/50 दिनांक 07.04.1980
3. सं. ई(एनजी) III/79/आरआर-1/25 दिनांक 25.08.1980
4. सं. ई(एनजी) III/79/आरआर-1/25 दिनांक 18.05.1982
5. सं. ई(एनजी) II/84/आरआर-2/1 दिनांक 14.09.1984
6. सं. ई(एनजी) II/86/आरआर-2/3 दिनांक 04.05.1988
7. सं. ई(एनजी) II/88/आरआर-2/1 दिनांक 05.06.1989
8. सं. ई(एनजी) II/98/आरआर-2/7 दिनांक 03.03.1999
9. सं. ई(एनजी) II/90/आरआर-2/1 दिनांक 19.06.2000
10. सं. ई(एनजी) II/2003/आरआर-2/4 दिनांक 19.11.2003
11. सं. ई(एनजी) II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 21.09.2015
12. सं. ई(एनजी) II/2017/आरआर-1/12(3192238) दिनांक 27.07.2017
13. सं. ई(एनजी) II/2017/आरआर-1/12(3192238) दिनांक 28.02.2018
14. सं. ई(एनजी) II/2009/आरआर-1/10 दिनांक 17.06.2019
15. सं. ई(एनजी) II/2015/आरआर-2/1 दिनांक 03.07.2019

अनुलग्नक-1

प्रमाणपत्र सं.

सक्रियता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि(नाम) राज्य / जिला / मंडल के ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य है जो वर्ष से राज्य/जिला संघ से विधिवत पंजीकृत है।

तारीख:

(नाम एवं हस्ताक्षर)
ग्रुप लीडर(स्कॉउट /गाइड)

(नाम एवं हस्ताक्षर)
डीओसी(स्कॉउट /गाइड)

(नाम एवं हस्ताक्षर)
डीसी(स्कॉउट /गाइड)

समूह 'ग' पदों के लिए स्काउट और गाइड कोटा के अंतर्गत चयन के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम

स्काउट और गाइड का इतिहास; कानून एवं प्रतिज्ञा; संगठन – 'जिला एवं राज्य स्तर'; प्रशिक्षण केंद्र-जिला एवं राज्य स्तर; किताबों का ज्ञान; भारत में लड़कों के लिए स्काउट /लड़कियों के लिए गाइडिंग; बायां हाथ मिलाने का सिद्धांत; सलामी; प्रार्थना; झंडा गीत; राष्ट्र गान; राष्ट्रीय एवं स्काउट झंडों से परिचित होना; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएं; पैदल लंबी यात्रा; दक्षता बैज; ये कैसे कमाए जाते हैं?; स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण; चिंतन दिवस; स्काउट/गाइड/रोवर्स/रेंजर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण; पथप्रदर्शक; हस्तशिल्प; भारतीय रेलवे उत्सव; राष्ट्रीय उत्सव; हवाई उत्सव ।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र; डब्ल्यूएजीजीजीएस/डब्ल्यूओएसएम-उपराष्ट्रपति पुरस्कारप्रतियोगिता; प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता; समुदाय विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग के लक्ष्य एवं पद्धतियां; बेहतर नागरिकों के निर्माण में स्काउटिंग कैसे उपयोगी है?

नियुक्ति के लिए घोषणापत्र

मैं.....(नाम), पुत्र श्री.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. मुझे रेलवे में अपनी तैनाती के 1 साल के भीतर यूनिट लीडर प्रशिक्षण लेना होगा।
2. मैं एक यूनिट को प्रभावी ढंग से खोलूंगा और/अथवा चलाऊंगा।
3. मैं समय-समय पर प्रगतिशील प्रशिक्षण में जाऊंगा।
4. जब भी जैसी भी आवश्यकता होने पर मैं रेलवे स्काउट प्रशासन की सहायता करूंगा।

उपरोक्त में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, मुझ पर अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कारवाई की जा सकती है।

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

(नाम)